न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती तमन्ना कौशिक़ (आर.जे.एस)

आपराधिक मूल प्रकरण संख्या –23/69/2019

राजस्थान राज्य

बनाम

1. बिशम्बरदयाल पुत्र इन्दरसिंह, उम्र 83 साल, निवासी नरवास थाना कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।

–अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 427 भा.द.सं.

उपस्थिति :–

1. राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी , उपस्थित
2. श्री राजाराम यादव, बलराम यादव, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
3. श्री समयसिंह यादव, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

–:: निर्णय ::– दिनांक–02.06.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी सुरेश द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर एक इस्तगासा धारा 156(3) जा0फो0 के तहत अभियुक्त बिशम्बर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 379, 427, 447, 504 भा.द.सं. में इस आशय का पेश किया कि मिन परिवादी की आराजी खसरा नंबर 34 रकबा 0.85 हैक्टेयर ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम में स्थित है। मिन परिवादी ने दिनांक 10.05.2017 को पत्थरगढी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में एक वाद धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया था जिसके निर्णय दिनांक 26.10.2017 के आदेश के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश हुए थे जिस आदेश के तहत दिनांक 10.05.2017 को निर्णय के अनुसार पत्थरगढी उक्त आराजी कराई गई व खसरा नंबर 34 की पश्चिमी डोल पर 3 पत्थर गाडे थे। दिनांक 28.06.2018 को सुबह 8–9 बजे अभियुक्त बिशम्बर टैक्टर लेकर गया और परिवादी के खेत की मेड पर गडे पत्थर को उखाडकर फेक दिया व तारो

के बंडल को बनियत चोरी टैक्टर में रखकर ले गया। परिवादी ने मना किया तो उसेसे गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू हो गया। परिवादी की रोल पर परिवादी के पिता शेरसिंह व पोहपसिंह व गांव के काफी आदमी इकटठा हो गए जिन्होने मुलजिम को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन मुलजिम ने कहा कि तुम्हारे मन में आता है वो करो और उखडे हुए पत्थर वापिस खेत की मेड पर नहीं गाडेगा। अभियुक्त ने ऐलानिया तौर पर जान से खत्म करने की धमकी दी और कहा कि बगर तुम पुनः पत्थर गाडने की कोशिश की तो तुझे व तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा.....इत्यादि। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिस पर पुलिस थाना कोटकासिम द्वारा प्रथम सूचना संख्या– 271/18, अंतर्गत धारा– 379, 427, 447 भा.द.सं. में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान पुलिस थाना कोटकासिम द्वारा अदम वकू नाकाबिल दस्तनदाजी में एफआर पेश की। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2019 को पुलिस थाना कोटकासिम द्वारा प्रस्तुत एफआर अस्वीकार कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांकित 08.01.19 स्वीकार कर अभियुक्त बिशम्बर के विरूद्ध अंतर्गत धारा 427 भा.द.सं. का आरोप बनना पाए जाने पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया गया।

2. बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त को धारा 427 भा.द.सं. का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अन्वीक्षा के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाह परिक्षित कराये गये है :–

क्रम संख्या	गवाहान का नाम	विवरण
पीडब्ल्यू–1	शेरसिंह	घटनास्थल का नक्शामौका
पीडब्ल्यू–2	सुरेशचंद	परिवादी, नक्शामौका, इस्तगासा
पीडब्ल्यू–3	पोहपसिंह	नक्शामौका
पीडब्ल्यू–4	जगराम	धारा 161 सीआरपीसी के बयान
पीडब्ल्यू–5	सूरतसिंह	धारा 161 सीआरपीसी के बयान
पीडब्ल्यू–6	महावीर	धारा 161 सीआरपीसी के बयान

4. अन्वीक्षा के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित सुसंगत दस्तावेजात पेश किये है :–

क्रम संख्या	दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी 1	नक्शामौका
प्रदर्श पी 2	इस्तगासा
प्रदर्श पी 3	धारा 161 सीआरपीसी के बयान जगराम
प्रदर्श पी 4	धारा 161 सीआरपीसी के बयान सूरतसिंह
प्रदर्श पी 6	धारा 161 सीआरपीसी के बयान महावीर

5. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिए गए तो अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य को अस्वीकार किया एवं स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना जाहिर किया। सफाई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा। जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(1) आपने दिनांक 28.06.2018 को सुबह करीब 8–9 बजे परिवादी के खेत आराजी खसरा संख्या 34 की पश्चिमी डोल पर की गई पत्थरगढी को उखाडकर फेंककर रिष्टी कारित की हो जिससे परिवादी को 50/–रूपये या उससे अधिक की हानि हुई हो ?

(2) यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र होगा ?

7. उभय पक्षकारान की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से कुल 6 गवाह को पेश कर परीक्षित कराया गया है। प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी पीडब्ल्यू 2 सुरेशचंद मुख्य परिक्षण में कथन करता है कि दिनांक 27.06.2018 को उन्होने अपनी जमीन खसरा नंबर 34 रकबा 0.85 में अपने हिस्से में एसडीओ के आदेश से तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी की उपस्थिति में भूमि पर पत्थरगडी की थी। उसके दूसरे दिन 28.06.2018 को खेत जोतने के लिए वह गया तब बिशंबर पुत्र इंद्र वहां पर आया और उसने उसके सामने

पत्थरगडी को उखाडकर ले गया और ना ही उसे खेत जोतने दिया। इस्तगासा प्रदर्श पी 2 व नक्शामौका प्रदर्श 1 पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह जिरह में कथन करता है कि नक्शामौका पर उसके, पोहपसिंह व शेरसिंह के हस्ताक्षर है। पोहपसिंह उसका भाई है। बिशंबर ने पत्थर उखाडा था।

गवाह पीडब्लयू–1 शेरसिंह जो कि मौके का गवाह है, मुख्य परिक्षण में कथन करता है कि सन 2017 की बात है। खसरा नंबर 34 का डोला राजवीर, अतरसिंह ने तोड दिया था। उन्होने 10.05.2017 को पैमाइश कराई थी। उन्होने पत्थरगडी कराने का प्रार्थना पत्र एसडीएम कोटकासिम को दिया था। पत्थरगडी 27.06.2018 को हो गई थी जो पत्थरगडी तहसीलदार कोटकासिम के माध्यम से हुई थी, पटवारी व गिरदावर भी मौजूद थे। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि उसका व विशंभर का खेत डोला में डोला है। गवाह नक्शामौका प्रदर्श पी 1 देखकर कहता है कि इसमें उसका खेत नहीं है।

गवाह पीडब्ल्यू–3 पोहपसिह जो कि मौके का गवाह है, मुख्य परिक्षण में कथन करता है कि जून के महिने में पत्थरगडी करवाई थी, शायद 2018 में करवाई थी। आनाका गांव की सीमा में शेरसिंह ने अपनी जमीन में करवाई थी। विशंभर ने शेरसिंह के खेत से पत्थर उखाड दिए। पत्थरो को ले गए। नक्शामौका प्रदर्श पी 1 पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह जिरह में कथन करता है कि पत्थरगडी खसरा नंबर 34 की डोल पर हुई थी। पत्थरगडी एसडीएम के आदेश से हुई थी। पत्रावली देखकर कहा कि इसमें तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश नहीं है। पत्थरगडी के पत्थर कब गाडे व उखाडे गये, वह तारीख नहीं बता सकता। जो पत्थर उखाडा, वह करीब 16–17 किलो का था। प्रदर्श पी 1 पर उसने, शेरसिंह मास्टर ने हस्ताक्षर किए थे, इनके अलावा किसी ने साईन नहीं किए।

गवाहान पीडब्ल्यू–4 जगराम, पीडब्लयू–5 सूरतसिंह व पीडब्ल्यू–6 महावीर अपने मुख्य परिक्षण में सशपथपूर्वक सारतः कथन करते है कि उनके सामने कुछ नहीं हुआ ना ही कोई पत्थरगडी हुई जिसके पश्चात उक्त तीनो गवाहान को पक्षद्रोही घ ोषित किया गया। गवाहान ने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 3, पी 4 व पी 6 देने से इनकार किया है।

8. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय का मत यह है कि प्रकरण में परिवादी पक्ष को यह

साबित करना है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.06.2018 को सुबह करीब 8–9 बजे परिवादी के खेत आराजी खसरा संख्या 34 की पश्चिमी डोल पर की गई पत्थरगढी को उखाडकर फेंककर रिष्टी कारित की जिससे परिवादी को 50/–रूपये या उससे अधिक की हानि हुई ? उक्त तथ्यों के संदर्भ में यदि हम परिवादी साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण करे तो परिवादी द्वारा जहां प्रदर्श पी 2 इस्तगासे में तहसीलदार कोटकासिम द्वारा परिवादी के खेत खसरा नंबर 34 की पश्चिमी डोल पर की गई पत्थरगडी को मुलजिम द्वारा उखाडकर फेंकने पर पोहपसिंह व शेरसिंह के मौके पर मौजूद होना बताया है, वहीं गवाह पीडब्ल्यू–3 पोहपसिंह अपने मुख्य परिक्षण में विशंभर द्वारा शेरसिंह के खेत से पत्थर उखाडने बाबत कथन कर जिरह में स्पष्ट करता है कि पत्थरगडी के पत्थर कब गाडे व उखाडे गये, वह तारीख नहीं बता सकता। उक्त गवाह के बयानों के संदर्भ में यदि गवाह पीडब्ल्यू–1 शेरसिंह के बयानों का अवलोकन करे तो उक्त गवाह अपने संपूर्ण बयानों में खसरा नंबर 34 का डोला किसी अन्य व्यक्ति राजवीर, अतरसिंह द्वारा तोडने बाबत कथन करते हुए मुलजिम द्वारा उसके खेत से पत्थरगडी के पत्थर उखाडे गए हो इस बाबत कोई भी कथन नहीं करता है। ऐसे में उक्त दोनो गवाहान के बयानों में मुलजिम बिशंभर द्वारा ही परिवादी के खेत की पत्थरगडी उखाडी गई हो जिससे परिवादी को आर्थिक नुकसान हुआ हो इस बाबत विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त जहां परिवादी पीडब्ल्यू–2 सुरेशचंद अपने बयानों में दिनांक 28.06.2018 को तहसीलदार द्वारा उसके खेत में की गई पत्थरगडी को मुलजिम द्वारा उखाडकर फेंकने बाबत कथन किए है, वहीं परिवादी पक्ष द्वारा तहसीलदार द्वारा किस आदेश के तहत उसके खेत में पत्थरगडी की गई थी इस बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तहसीलदार द्वारा परिवादी के खसरा नंबर 34 में पत्थरगडी की गई थी और ना ही परिवादी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त पत्थरगडी हटाने से उसे कितने रूपये का आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी संदर्भ में प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–4 जगराम, पीडब्ल्यू–5 सूरतसिंह व पीडब्ल्यू–6 महावीर सिंह घ ाटना के परिप्रेक्ष्य में कोई बयान नहीं देते है। यह स्पष्ट है कि प्रकरण के तीनों महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनकी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा परिवादी के खेत से पत्थरगडी के पत्थर उखाडकर आपराधिक रिष्टि कारित की हो, संदेहजनक प्रतीत होता है। दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिवादी

पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। परिवादी पक्ष द्वारा लेखबद्ध करवाये गये गवाहान की साक्ष्य में से किसी भी गवाह द्व ारा अभियुक्त द्वारा ही पत्थरगडी को उखाडकर आपराधिक रिष्टि कारित की गई हो जिससे परिवादी को आर्थिक नुकसान हुआ हो, साबित नहीं किया गया है।

9. अतः परिवादी पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.06.2018 को सुबह करीब 8–9 बजे परिवादी के खेत आराजी खसरा संख्या 34 की पश्चिमी डोल पर की गई पत्थरगढी को उखाडकर फेंककर रिष्टी कारित की हो जिससे परिवादी को आर्थिक नुकसान हुआ हो। फलस्वरूप अभियुक्त बिशम्बर को अपराध अंतर्गत धारा 427 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घ ोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. अभियुक्त बिशम्बरदयाल पुत्र इन्दरसिंह, उम्र 83 साल, निवासी नरवास थाना कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 427 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते है। अभियुक्त के धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किए गए जमानत एवं मुचलके निर्णय की दिनांक से छह माह के लिए प्रभावी रहेगे।

(तमन्ना कौशिक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटकासिम (खैरथल–तिजारा)

11. निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर विवृत्त न्यायालय में उदघोषित किया गया ।

(तमन्ना कौशिक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटकासिम (खैरथल–तिजारा)